(4)

तबादला नीति-2021 • दो बड़े बदलावों के साथ 1 अप्रैल से हटेगी ट्रांसफर से रोक

किसी भी कर्मचारी का एक साल में दो बार तबादला नहीं कर सकेंगे मंत्री

भास्कर एक्सक्लूसिव

क्लास वन अफसर ट्रांसफर से नाखुश है तो वह सीएस से लेकर सीएम तक कर सकेगा शिकायत

अनिल गुप्ता | भोपाल

प्रदेश में सरकारी तबादलों पर लगा प्रतिबंध 1 अप्रैल से एक महीने के लिए हटने जा रहा है। ये तबादले नई तबादला नीति 2021 के तहत होंगे, जो तैयार हो चुकी है और अगले कुछ दिन में कैबिनेट के समक्ष आएगी। नीति में दो अहम बदलाव किए गए हैं। पहला- जिन अधिकारियों, शिक्षकों अथवा कर्मचारियों के ट्रांसफर मार्च 2020 से मार्च 2021 के बीच हुए हैं, जिले के प्रभारी मंत्री दोबारा उनके तबादले नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद ही उनका तबादला होगा। दूसरा- किसी क्लास वन ऑफिसर का तबादला यदि जानबूझकर किया जाता है तो वह उसकी शिकायत मुख्य सचिव से लेकर मुख्यमंत्री तक कर सकेगा।

शेष | पेज 7 पर

मंत्रियों को जिलों का प्रभार जल्द

मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि मंत्रियों को जिलों का प्रभार आठ माह से अटका हुआ है। संगठन से चर्चा कर मुख्यमंत्री विधानसभा के बजट सत्र के बाद ही प्रभार बांट सकते हैं।

कोरोना के गंभीर मरीजों को छूट

नई नीति में कोरोना से गंभीर बीमार हुए सरकारी कर्मी को तबादले से छूट मिल सकेगी। अभी यह कैंसर, हार्ट सर्जरी आदि के चलते जांच कराने वाले कर्मियों को मिलती है।

शिक्षा विभाग नीति से बाहर होगा

नई नीति से शिक्षा विभाग बाहर रहेगा। इसके कुछ प्रावधानों के साथ स्कूल शिक्षा व उच्च शिक्षा विभाग अपनी अलग नीति जारी कर सकते हैं।

डिप्टी एसपी का ट्रांसफर बोर्ड करेगा

नई नीति में पुलिस और वन महकमे होंगे, लेकिन डिप्टी एसपी से नीचे के तबादले पुलिस स्थापना बोर्ड तय करेगा और मंत्री के अनुमोदन से जारी होंगे।

40 साल से बन रही नीति | ट्रांसफर के लिए एक माह प्रतिबंध हटाने की परंपरा चालीस साल से चली आ रही है। पहली तबादला नीति 1980 में आई थी। इसके बाद से हर एक-दो साल के भीतर नीति बनती रही और तबादले हुए।

मुख्यमंत्री समन्वय से तबादले हो ही रहे हैं तो फिर नीति की क्या जरूरत?

एक्सपर्ट व्यू

केएस शर्मा,
पूर्व मुख्य सचिव

सरकार प्रशासकीय आधार पर ट्रांसफर करती है। लेकिन जब स्थानीय नेताओं के दबाव में ट्रांसफर की संख्या जरूरत से ज्यादा हो जाए तो सरकार पर आरोप लगते हैं। मौजूदा समय में ट्रांसफर की संख्या बढ़ती जा रही है। जब मुख्यमंत्री समन्वय से सालभर तबादले हो रहे हैं तो नीति की क्या जरूरत? यदि फिर भी नीति आ रही है तो कोशिश रखनी चाहिए कि कम से कम ट्रांसफर हों। भास्कर

दैनिक भास्कर
15/03/2021

5

स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा की सफाई

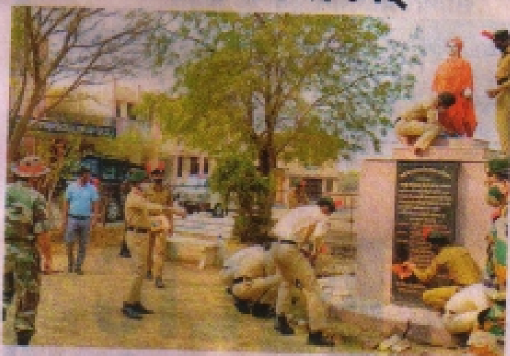

कामर्स कालेज में स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा की सफाई करते हुए एनसीसी कैडेट्स। ● नईदुनिया

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। 21 मप्र बटालियन एनसीसी द्वारा स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कामर्स कालेज में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा की सफाई की गई। डायरेक्टोरेट जनरल एनसीसी नई दिल्ली द्वारा लोगों को स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता के लिए जागरूक करने, देश के महापुरुषों की प्रतिमाओं का विशेष रखरखाव करने व उनके द्वारा देश के प्रति योगदान को व्याख्यान से समझाने के लिए संपूर्ण भारत में जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया।

इसी कड़ी 21 मप्र बटालियन द्वारा कमान अधिकारी कर्नल एचपीएस अहलावत के नेतृत्व में बिरियाखेड़ी स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा की साफ-सफाई एनसीसी कैडेट्स द्वारा की गई। प्रतिमा सफाई के पश्चात कमान अधिकारी द्वारा स्वामी विवेकानंद के जीवन से कैडेट्स को अवगत कराया गया।

स्वच्छता बनाए रखने का दिया संदेश

कैडेट्स द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी समाज को स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया गया। शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय के प्राचार्य डा. राकेश माथुर, शासकीय कला व विज्ञान महाविद्यालय के एनसीसी अधिकारी लेफ्टीनेंट राजेंद्र सिंह जामोद, वाणिज्य महाविद्यालय के एनसीसी अधिकारी केयर टेकर संजीव वर्मा आदि उपस्थित थे।

नईदुनिया
15/03/2021

छह दिन में 110 मरीज मिले, माह का औसत 11 से ज्यादा

कोरोना से जंग : पांच दिन से पाजिटिव दर 7.4 प्रतिशत हुई, फिर से बनेंगे कंटेनमेंट जोन, रविवार को 21 नए मामले

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। प्रदेश सहित जिले में भी कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी है। सैंपलों की रिपोर्ट में पाजिटिव मरीजों का प्रतिशत तक पहुंचने के बाद अब प्रशासन ने फिर से सख्ती कर कंटेनमेंट एरिया बनाने शुरू कर दिए हैं। सोमवार से मास्क, शारीरिक दूरी रखने सहित कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए प्रशासन, निगम व पुलिस की संयुक्त टीम कार्रवाई करेगी। इधर रविवार को 21 नए पाजिटिव मिलने के बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 138 हो गई है।

शनिवार को 24 पाजिटिव मिले थे, इन मरीजों के निवास को कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है। रविवार को मरीजों के घरों के बाहर बेरिकेडिंग की गई। मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई के लिए एसडीएम अभिषेक गेहलोत ने 10 टीमें गठित की हैं। सोमवार से ये टीमें कार्रवाई करेंगी। नियम तोड़ने वालों को अस्थाई जेल में रखने की तैयारी भी हो रही है।

61 दिन बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 138 हुई

रविवार को 142 रिपोर्ट में 21 नए पाजिटिव मिले, जिसमें मेडिकल कालेज लैब और रैपिड एंटीजन जांच रिपोर्ट के मरीज शामिल हैं। संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ते हुए 4585 पहुंच गया और सात नए मरीजों के डिस्चार्ज होने पर 4363 स्वस्थ हो गए, जबकि 84 की मौत हुई। मार्च के 14 दिन में 158 नए मरीज मिले, 54 स्वस्थ हुए और दो की मौत हुई। एक्टिव मरीजों की संख्या 138 पहुंच गई। 61 दिन बाद एक्टिव मरीजों की संख्या इतनी हुई है। फरवरी में तो 100 का आकड़ा पार नहीं हो पाया था, लेकिन मार्च में लगातार संख्या बढ़ती ही जा रही है।

पेट्रोल पंप पर दिन भर होते रहे विवाद

कलेक्टर गोपालचंद्र डाड ने पेट्रोल पंप संचालकों को मास्क पहनकर आने वालों को ही पंप से पेट्रोल-डीजल दिए जाने के आदेश दिए हैं। आदेश के पालन को लेकर रविवार को दिनभर पंप पर वाहन चालकों से कर्मचारियों का विवाद होता रहा। मास्क अनिवार्य होने की बात कहने पर वाहन चालक विवाद करते रहे। कुछ पंप संचालकों ने पुलिस थाने पर सूचना भी दी। संचालकों का कहना है कि आदेश का पालन कराने में परेशानी नहीं है, लेकिन पंप पर प्रशासन या पुलिस की टीम का कोई व्यक्ति होना चाहिए।

छह दिन में मिले मरीज

तारीख	सैंपल	पाजिटिव	मौत	स्वस्थ	एक्टिव
09 मार्च	283	15	01	05	69
10 मार्च	235	19	00	02	86
11 मार्च	120	15	00	07	94
12 मार्च	331	16	01	08	101
13 मार्च	369	24	00	01	124
14 मार्च	142	21	00	138	

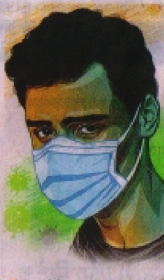

कोरोना गाइड लाइन का पालन कराने के लिए 10 टीमें गठित की है। जरूरत पड़ी तो अस्थायी जेल की व्यवस्था भी करेंगे। कोरोना खत्म नहीं हुआ। सभी को जागरूक रहकर मास्क पहनने के साथ बाजार में शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। - **अभिषेक गेहलोत, एसडीएम, रतलाम शहर**

आज 28 केंद्रों में 8080 लोगों को लगेंगे टीके

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। जिले में सोमवार 15 मार्च को कोविड टीकाकरण होगा। इसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के कोई भी व्यक्ति एवं 45 से 60 वर्ष आयु समूह के कोमार्बिडिटी से पीड़ित सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक जन्म तारीख दर्शाने वाली आइडी बता आन स्पाट बुकिंग कराकर सीधे टीका लगवा सकते हैं।

सीएमएचओ डा. प्रभाकर ननावरे ने बताया कि सोमवार को 8080 लोगों को एक दिन में टीके लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। टीके लगाने के लिए पच्चीस प्रतिशत स्थान आनलाइन बुकिंग कराने वाले हितग्राहियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। जिन फ्रंटलाइन वर्कर को आठ से 14 फरवरी के मध्य पहला टीका लग चुका है, वे दूसरा टीका सोमवार को सीधे आकर लगवा सकते हैं। शहर के रेलवे हास्पिटल एवं डीआरपी लाइन पर केवल फ्रंटलाइन वर्कर को दूसरा डोज लगाया जाएगा। निजी अस्पताल आरोग्यम और गीतादेवी में सशुल्क टीका लगवा सकते हैं। सोमवार को बाल चिकित्सालय व मेडिकल कालेज में 1000-1000 लोगों को टीके लगाने का लक्ष्य रहेगा। सिविल अस्पताल आलोट सिविल अस्पताल जावरा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खारवाकलां, ताल, बाजना, सैलाना, नामली, सैलाना, पिपलौदा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिलपांक, रावटी, बर्डियागोयल, बड़ावदा, ढोढर, रिंगनोद, कालूखेड़ा, सुखेड़ा, बांगरोद, बिरमावल, धामनोद, धराड़, सरवन, शिवगढ़ केंद्रों में भी में टीकाकरण होगा।

नईदुनिया 15/03/2021

(3)

आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार

नगरीय निकाय चुनाव हाईकोर्ट ने स्थगित किए हैं, निरस्त नहीं

भोपाल, 14 मार्च. मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए किए गए आरक्षण को हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने स्थगित कर दिया है. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है कि

महापौर और अध्यक्ष पद के लिए रोटेशन प्रोसेस पूरी तरह से सही

हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी. उन्होंने कहा यह बताना जरूरी है कि हाईकोर्ट ने आरक्षण को स्थगित किया है निरस्त नहीं किया है.

मप्र में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में महापौर और अध्यक्ष पदों को लेकर हुए आरक्षण को लेकर आए ग्वालियर हाईकोर्ट के फैसले को प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी. ये जानकारी प्रदेश के मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने दी. बता दें कि शनिवार को ही हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने नगरीय निकाय चुनाव 2021 के लिए महापौर और अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया को अंतरिम आदेश तक स्थगित कर दिया था. हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा था कि महापौर, नगर पालिका व नगर परिषद अध्यक्ष पदों के लिए हुए आरक्षण में रोटेशन प्रोसेस का सही तरीके से पालन नहीं किया गया है. इसलिए इस पर रोक लगाई गई है.

सरकार ने प्रशासकीय स्वीकृति दी

मंत्री भूपेन्द्र सिंह का कहना है कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए महापौर और अध्यक्ष पद के लिए जो रोटेशन प्रोसेस अपनाया गया है वो पूरी तरह से सही है और उसे आरक्षण 1994 में बने नियमों के अनुसार ही निर्धारित किया गया है. अब जब ग्वालियर हाईकोर्ट ने रोटेशन प्रोसेस का पालन होना न मानते हुए जो फैसला सुनाया है उसे सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी जिसके लिए प्रशासकीय स्वीकृति सरकार की ओर से दे दी गई है.

नवभारत

नवभारत
15/03/2021

(2)

आरक्षण पर स्थगन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी राज्य सरकार

निकाय चुनाव

- **मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा- विशेष अनुमति याचिका की जाएगी दायर**
- **हाई कोर्ट ने रोटेशन प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर दिया है स्थगन**

भोपाल (नईदुनिया स्टेट ब्यूरो)। नगर निगम के महापौर, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ द्वारा दिए स्थगन के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करेगी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि आदेश की प्रति नहीं मिली है पर जो जानकारी मिली है, उसके आधार पर सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी। आरक्षण अधिनियम के अनुसार किया है। इसी आधार पर बरसों से आरक्षण हो रहा है।

हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने 10 और 11 दिसंबर, 2020 की उस अधिसूचना पर रोक लगाई है, जिसमें नगर निगम के महापौर, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण किया गया है। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि शासन ने आरक्षण में रोटेशन प्रक्रिया का पालन नहीं किया। इस याचिका पर अब अप्रैल में सुनवाई होगी। आरक्षण पर स्थगन की वजह से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जा रही चुनाव की तैयारियों पर भी असर पड़ा है। दरअसल, जब तक आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती है तब तक आयोग चुनाव की घोषणा नहीं कर सकता है। उधर, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 1994 में बने नियमों के आधार पर आरक्षण की प्रक्रिया की गई है। इसी आधार पर अब तक चुनाव होते रहे हैं। आरक्षण प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, इसलिए हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करने का निर्णय लिया गया है। भूपेंद्र सिंह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं ताकि स्थिति स्पष्ट हो जाए और चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।

इनके आरक्षण को दी गई थी चुनौती

- मुरैना व उज्जैन नगर निगम के महापौर के आरक्षण को चुनौती दी थी।
- नगर पालिका व नगर पंचायतों में नागदा (उज्जैन), झाबुआ, आलीराजपुर, पाली (उमरिया), बड़वानी, माकड़ौन (उज्जैन), खेतिया (बड़वानी), पिपलरवा (देवास), सुवासरा (मंदसौर), करही (खरगौन), हातोद (इंदौर), मांडव (धार), डही (धार), मेघनगर (झाबुआ), पलसूद (बड़वानी), धामनोद (रतलाम), सरदारपुर (धार), ओंकारेश्वर (खंडवा), थांदला (झाबुआ), जोबट (अलीराजपुर), रानापुर (झाबुआ), बैहर (बालाघाट), कुक्षी (धार) आदि के आरक्षण को चुनौती दी गई थी।

रोक से चुनाव करना संभव नहीं

"आरक्षण की अधिसूचना पर रोक लगा दी है। अधिसूचना पर रोक लगने से चुनाव करना संभव नहीं है। इसमें अंतिम निर्णय चुनाव आयोग को लेना है कि क्या किया जा सकता है।

\- अंकुर मोदी,
अतिरिक्त महाधिवक्ता ग्वालियर

नईदुनिया

नईदुनिया 15/03/2021

(1)

स्वच्छता अभियान : दो दुकानों से 45 किलो अमानक पॉलीथिन जब्त

भास्कर संवाददाता | रतलाम

स्वच्छ सर्वेक्षण की समय सीमा शुरू होने के साथ ही नगर निगम ने पूरी तरह स्वच्छता अभियान पर फोकस कर दिया है। सबसे बड़ी समस्या नष्ट न होने वाली पॉलीथिन से निपटने के लिए अमले ने अभियान छेड़ते हुए एक पखवाड़े में एक टन से ज्यादा अमानक पॉलीथिन जब्त की है।

रविवार को चमारिया नाका स्थित चौपड़ा नमकीन से 5 किलो और करमदी रोड स्थित नाकोड़ा ट्रेडर्स से 40 किलो 50 माइक्रोन से कम की पॉलीथिन जब्त की। आयुक्त सोमनाथ झारिया ने कार्रवाई करते हुए चौपड़ा नमकीन पर 3000 रुपए और नाकोड़ा ट्रेडर्स पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया। जब्ती की कार्रवाई प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह व स्वच्छता अमले ने की। उधर स्वच्छता संकल्प देश का, हर रविवार विशेष सा कार्यक्रम के तहत रविवार को ईश्वर नगर में रैग पिकर्स महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। भास्कर

दै. भास्कर 15/03/2021

डिस्पोजल से 374 किलो पॉलीथीन जब्त

रतलाम● शासन निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र में 50 माइक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किए जाने के तहत जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। धानमण्डी क्षेत्र में श्रीजी डिस्पोजल से 242 किलो व बालाजी डिस्पोजल से 132 किलो 50 माइक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन स्पॉट फाइन द्वारा जब्त की जाकर संबंधितों पर 5000 व 3000 का जुर्माना किया। निगमायुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि सब्जी, फल व अन्य सामग्री के फुटकर व्यवसायी अगर 50 माइक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग करते हैं तो उन पर 50 रुपए का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह दुकानदारों द्वारा 50 माइक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग व भण्डारण करता है तो उन पर 5000/- रुपए का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। स्वदेश

स्वदेश 15/3/2021